138

समक्ष : न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

कैम्प – सागर (मप्र) R-4091-I/16

1) सुखदयाल तनय बंदू यादव आयु – 70 वर्ष

2) अनंदी तनय लक्ष्मन यादव आयु – 40 वर्ष

3) भागीरथ तनय लक्ष्मन यादव आयु–35 वर्ष

समस्त निवासी ग्राम लमेरा तहसील बल्देवगढ़

जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) --- निगरानीकर्तागण

|| बनाम ||

1) गौरीबाई पत्नि दुज्जू अहिरवार

2) हिरिया पत्नि मुच्चा अहिरवार

दोनों निवासी ग्राम लमेरा तहसील बल्देवगढ़

जिला टीकमगढ़, (म.प्र.)

--- उत्तरवादीगण

3) म0प्र0 शासन

निगरानी/आवेदन अन्तर्गत धारा–50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959 :-

यह निगरानी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़, (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्रं0–मामला क्रमांक/65/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20/10/16 के विरूद्ध निगरानीकर्तागण द्वारा दुखित एवं व्यथित होकर माननीय न्याया. के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—4091—एक / 2016 जिला—टीकमगढ़

सुखदयाल आदि विरूद्ध गौरीबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़, जिला—टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 65 / अपील / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 20—10—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09—10—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	